



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-276975
CG-DL-E-09102026-276975

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5310]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5310]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5522(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, ओडिशा राज्य के खोरधा जिले के बघमारी गांव में एनएच-५७ पर किमी. २८१.७०० से किमी. २८५.३३० तक भूमि के खंड पर एनएच-५७ के "बघमारी बाईपास के निर्माण" के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त उप-जिलपाल तथा सख्यम प्राधिकारी, भूमि अधिग्रहण, जातीय राजपथ -५७, खोर्दा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

ओडिशा राज्य के खोर्धा जिले के बघमारी गांव में एनएच-५७ पर किमी. २८१.७०० से किमी. २८५/३३० तक भूमि के खंड पर

"बघमारी बाईपास के निर्माण"के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: खोर्धा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बेगुनिअ					
गांव का नाम: बाघमारी					
1	1392	निजी	रेसिडेंसियल	0.01 (एकर)	0.0040469
2	1395/4124	निजी	रेसिडेंसियल	0.015 (एकर)	0.0060704
3	1423	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.01 (एकर)	0.0040469
4	1424	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.082 (एकर)	0.033185
5	714	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.12 (एकर)	0.0485633
6	715	निजी	रेसिडेंसियल	0.02 (एकर)	0.0080939
7	716/3281	निजी	रेसिडेंसियल	0.045 (एकर)	0.0182112
Total					0.1222176

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5522(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for "Construction of Baghamari By-Pass on NH-57 from Km.281/700 to Km. 285/330" in village namely Baghamari in the District of KHORDHA in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, "Addl. Sub-collector-cum-CALA-NH-57, Khordha" in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures "Construction of Baghamari By-Pass on NH-57 from Km.281/700 to Km. 285/330" in village namely Baghamari in the district of KHORDHA in the state of ODISHA.

State: ODISHA			District: KHORDHA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Begunia					
Village: Baghamari					
1	1392	Private	Residential	0.01 (Acre)	0.0040469
2	1395/4124	Private	Residential	0.015 (Acre)	0.0060704
3	1423	Government	Non Agriculture	0.01 (Acre)	0.0040469
4	1424	Government	Non Agriculture	0.082 (Acre)	0.033185
5	714	Government	Non Agriculture	0.12 (Acre)	0.0485633
6	715	Private	Residential	0.02 (Acre)	0.0080939
7	716/3281	Private	Residential	0.045 (Acre)	0.0182112
Total					0.1222176

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director